तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या 09 / 2024	नंबरर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10–12–2025	पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा यह इस्तगासा गैरसायल पप्पूराम पुत्र सुजाराम, जाति– हीरागर, निवासी– बाल्दा, हाल– झूपाघाट, सिरोही, पुलिस थाना कोतवाली सिरोही के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत दिनांक 05–4–2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत कर गैरसालय को जिलें से निष्कासित करने का अनुरोध किया गया। जो इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर कर इस न्यायालय द्वारा कई बार गैरसायल को नोटिस जारी कर तामिली हेतु भेजे गये, लेकिन गैरसायल को जारी नोटिस, गैरसायल के इस थाना क्षेत्र से बाहर होने के कारण अदम तामिल प्राप्त हुये। चूंकि गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत यह कार्यवाही छः माह से अधिक समय से इस न्यायालय में लम्बित है, लेकिन गैरसालय के थाना क्षेत्र में निवास नही करने से गैरसायल को अभी तक नोटिस की तामिली नही हुई है। अतः गैरसालय के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत प्रस्तुत यह कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। साथ ही, थानाधिकारी, पुलिस थाना कातवाली, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि यदि गैरसायल की थाना क्षेत्र में भविष्य में ऐसी आपराधिक गतिविधियां पाई जाती है तो गैरसायल के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, सिरोही के माध्यम से राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के अर्न्तगत पुनः कार्यवाही प्रस्तुत करे। निर्णय / आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से होकर दाखिल दफतर हो। **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,** **सिरोही**	